प्रकरण संख्या 09/19 2019/00105 ता0रजू 28.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

हंसराम गुर्जर पुत्र जौहरी गुर्जर आयु 59 साल जात गुर्जर निवासी ग्राम भोजपुर तहसील मासलपुर जिला करौली उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमूरा तहसील मासलपुर जिला करौली

– अपीलाण्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी आदेश दिनांक 25.01.2019 क्रमांक रसद/अभियोजन/2018–19/1169 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमूरा तहसील मासलपुर का हंसराज गुर्जर के हक में जारी किया गया प्राधिकार पत्र निरस्त किया है तहत धारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत

निर्णय

दिनांक 26.08.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत जिला रसद करौली के निर्णय दिनांक 25.01.2019 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रात्रि चौपाल में उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमूरा की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 12.07.2018 को जांच करने पर पाई गई अनियमिततओं उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना, बार–बार चक्कर लगवाना, उसके बाद कुछ उपभोक्ताओं को राशन देना व कुछ को राशन नहीं देना, उपभोक्ताओं से उचित व्यवहार नहीं होना, आदि की रिपोर्ट किये जाने एवं अनियमिततओं के प्रमाणित पाये जाने पर आदेश दिनांक 25.01.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन डीलर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 25.01.2019 पूर्णतया विधि विरूद्ध, आरवेट्रेरी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं रिकार्ड के विपरीत है और अपास्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा तकनीकी आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का नोटिस व समुचित अवसर नही दिया गया है। कोई ऐसी अवैधता अपीलाण्ट द्वारा नहीं की गयी है जिससे प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सके। अपीलाण्ट के समक्ष दिनांक 12.07.2018 के दिवस प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कोई जांच नही की गयी है। किसी भी उपभोक्ता के द्वारा रसद सामग्री के लिए बार–बार चक्कर नहीं लगाये गये है किसी भी उपभोक्ता को राशन देने से इंकार नही किया है। किसी भी राशनकार्डधारी उपभोक्ता ने अपीलाण्ट की शिकायत नहीं की है कि अपीलाण्ट ने उसको राशन सामग्री नही दी है। ऐसे किसी उपभोक्ता को अपीलाण्ट के समक्ष प्रवर्तन निरीक्षक ने या अन्य अधिकारियो ने जांच में प्रस्तुत नही किया है। इसके अलावा अपीलाण्ट को भी ऐसा कोई नोटिस नही दिया है कि अमुक राशनकार्डधारी को अपीलाण्ट ने राशन सामग्री नहीं दी है फिर भी अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने में अधीनस्थ अधिकारी ने कानूनी भूल की है। वेग एवं निराधार कारण व आधार बताते हुये अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है जो आदेश दिनांक 25.01.2019 से ही स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा कोई अवैधता

जिला कलक्टर
करौली

कारित नही की है। अपीलाण्ट ग्रामीण क्षेत्र का प्राधिकार पत्र धारी उचित मूल्य दुकानदार है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया है एवं किसी कानूनी प्रावधान का कोई उल्लंघन नही किया है। अपीलाण्ट को प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से पूर्व जिला रसद अधिकार करौली द्वारा कोई नोटिस व अवसर नही दिया गया है और अपीलाण्ट को जो आदेश दिनांक 25.01.2019 जारी किया है उसमें भी कोई नोटिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी करना नही बताया है, बचाव का कोई समुचित अवसर नही दिया है आदेश देखते ही स्पष्ट करता है कि मनमाने तौर पर जारी किया गया आदेश है कोई जांच रिपोट अपीलाण्ट को नही दी गई है ना ही किसी गवाह से जांच अधिकारी से शिकायतकर्ता से जिरह करने का अवसर प्रदान किया है ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 25.01.2019 मनमाना है विधि विरूद्ध है अपास्त किये जाने योग्य है। आदेश दिनांक 12.07.2018 की जांच रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक करौली की बतायी है और जारी नोटिस दिनांक 23.07.2018 में 15.07.2018 की बतायी गयी है और किसी भी दिवस की जांच रिपोर्ट अपीलाण्ट को नहीं दी गयी है। ऐसा कोई भी उपभोक्ता नही है जिसमें पोश मशीन पर अंगूठा लगाया है और राशन सामग्री नहीं दी हो एवं अपीलाण्ट ने उचित व्यवहार नही रखा हो। किसी उपभोक्ता का नाम नोटिस दिनांक 23.07.2018 एवं आदेश दिनांक 25.01.2019 में दर्शित नही करना अपने आप में आदेश दिनांक 25.01.2019 को अवैध होना, रिकार्ड के अनुसार नही होना, मनमाना आदेश होना स्पष्ट करता है। अपीलार्थी के क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ताओं के बयान पेश कर निवेदन किया है कि राशन डीलर द्वारा किसी भी तरह की अनियमितता नहीं की गई है एवं अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने में उपभोक्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2019 को अपास्त किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि रात्रि चौपाल में अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 12.07.2018 को अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई थी जिसमें मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत के बाद राशन डीलर ने माह मई 2018 व जून 2018 की राशन सामग्री का वितरण कर दिया है लेकिन राशन डीलर द्वारा पोस मशीन पर माह मई 2018 व जून 2018 में ही अंगूठे लगवा लिये थे। वितरित राशन सामग्री में किसी को 2 माह का, किसी को 1 माह का राशन दिया गया है तो किसी को अगले दिन आने के लिए कह दिया गया है। राशन डीलर इसी प्रकार राशन देने के लिए बार–बार चक्कर लगवाता रहता है एवं राशन डीलर का व्यवहार उपभोक्ताओं के प्रति उचित नहीं है। अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच के बाद अपीलार्थी का राशन अनुज्ञापत्र निलंबित किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया था जिसका अपीलार्थी द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलार्थी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था। अतः राशन डीलर द्वारा की जा रही अनियमितताओं को प्रमाणित पाया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी का राशन अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। दिनांक 23.07.2018 तक अपीलार्थी के पास 94.28 क्विं. गेंहूं, 349 किलोग्राम चीनी एवं 824 लीटर केरोसीन होना चाहिए था। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी की रात्रि चौपाल में शिकायत प्राप्त होने पर अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई। जांच उपरांत अपीलार्थी का राशन अनुज्ञापत्र निलंबित किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर दिया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी द्वारा माह मई 2018 व जून 2018 में ही पोस मशीन पर अंगूठे

जिला कलक्टर
करौली

लगवा लेना एवं राशन सामग्री का वितरण नहीं करना, शिकायत होने पर किसी उपभोक्ता को 2 माह का, किसी उपभोक्ता को 1 माह का राशन वितरण करना एवं किसी उपभोक्ता को राशन सामग्री नहीं देकर कल आने के लिए कह देना, उपभोक्ताओं को बार–बार चक्कर लगवाना, उपभोक्ताओं से उचित व्यवहार नहीं करना आदि गंभीर अनियमितताऐं हैं एवं राशन वितरण में पूर्ण रूप से मनमानी किये जाने की श्रेणी में आता है। यदि अपीलार्थी राशन डीलर की रात्रि चौपाल में शिकायत नहीं होती तो, यह भी हो सकता था कि राशन डीलर माह मई 2018 व जून 2018 की सम्पूर्ण राशन सामग्री को उपभोक्ताओं को वितरित ही नहीं करता। शिकायत के उपरांत होने वाली जांच के आधार की जाने वाली कार्यवाही से बचने के लिए अपीलार्थी द्वारा राशन सामग्री का वितरण किया जाना विदित होता है। इसमें भी कुछ उपभोक्ताओं को तो पोस मशीन पर दो माह के अंगूठे लगवाने के बाद भी एक माह की ही राशन सामग्री का वितरण किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। वक्त बहस अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये उपभोक्ताओं के बयान प्रिण्टेड हैं जिनमें एक जैसी इबारत लिखी हुई है जिससे स्वयं राशन डीलर द्वारा एक–एक उपभोक्ता से स्वयं जाकर हस्ताक्षर करवाकर लाना विदित होता है एवं उनकी सत्यता संदिग्ध है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खाारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2019 यथावत् रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी राशन डीलर के पास दिनांक 23.07.2018 को शेष स्टॉक 94.28 क्विं. गेंहूं, 349 किलोग्राम चीनी एवं 824 लीटर केरोसीन की नियमानुसार वसूली की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली